International Journal of Scientific Research in Science and Technology
© 2018 IJSRST | Volume 4 | Issue 8 | Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X

स्वामी सहजानन्द सरस्वती और किसान आंदोलन

डॉ० प्रियंका कुमारी
एम.ए., पीएच.डी.
इतिहास, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय,
मुजफ्फरपुर।

1927 के उत्तरार्द्ध में बिहार किसान आंदोलन ने संगठित रूप लेना शुरू किया। किसान सभा के स्तंभ स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने सर्वप्रथम पश्चिमी पटना में किसान आंदोलन चलाना शुरू किया क्योंकि पश्चिमी पटना ही उनका कार्य क्षेत्र था। स्वामी जी ने स्वयं लिखा है कि ''हमें तो सिर्फ पश्चिमी पटना को देखना है, इसी ख्याल से पश्चिमी पटना से ही हमारा किसान आंदोलन सन् 1927 के बीतते शुरू हो गया।''[1] इसी के कुछ दिन बाद ही 4 मार्च 1928 को पश्चिमी पटना में किसान सभा की स्थापना की गई। इसकी नियमावली, उद्देश्य, सदस्यता, शर्तें इत्यादि बनायी गई। अगर स्वयं स्वामी जी ने पश्चिमी पटना किसान सभा की स्थापना काल 1927 ई. के उत्तरार्द्ध को मानते हुए लिखते हैं, ''किसान सभा का जन्म असल में सन् 1927 के आखिरी महीनों में ही हुआ, इतना तो पक्का है।''[2] इतना निश्चित है कि स्वामी जी ने सर्वप्रथम सुधारक के रूप में किसान सभा को जन्म दिया।

बिहार में किसानों के हितों को आघात करने के लिए 1929 के अंत में सरकार कौंसिल में एक विधेयक लाने वाली थी। तत्कालीन समय में स्वराज्य पार्टी की ओर से श्री रामदयालु सिंह, बाबू श्रीकृष्ण सिंह, श्री बलदेव सहाय वगैरह कौंसिल के सदस्य थे। वे लोग इस काश्तकारी कानून में सुधार वाले बिल से परेशान थे। फलतः नवम्बर, 1929 को रामदयालु सिंह, यमुना कार्यी के साथ स्वामी जी से मिले और प्रांतीय किसान सभा के गठन का निश्चय किया। अंततः 1929 के नवम्बर में बिहार किसान का गठन किया, जिसके अध्यक्ष स्वामी जी को बनाया गया। बाबू श्रीकृष्ण सिंह को महामंत्री तथा पंडित यमुना कार्यी, श्री गुरू सहाय लाल, श्री कैलाश बिहारी लाल को डिवीजनल सेक्रेटरी चुना गया। सदस्यों के रूप में राजेन्द्र प्रसाद से लेकर तमाम कांग्रेसी सदस्यों का नाम रखा गया तथा सबों ने इसकी स्वीकृति भी दे दी।

इसके बाद तो कांग्रेसी नेता, किसान सभा को तोड़–मरोड़ में ही लग ये। उन्होंने नकली किसान सभा का गठन भी कर लिया। जिसका मुख्य कार्य किसानों एवं जमींदारों के बीच समझौता करवाना था। इसका भंडाफोड़ 1933 में हुआ। 14 फरवरी 1933 को बिहार प्रांतीय किसान सभा की बैठक गुलाब बाग, पटना में दोपहर के बाद करने की खबर अखबारों में छपवायी गई। जिसमें किसानों एवं जमींदारों के बीच समझौता करने की बात थी। किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी जी एवं अन्य लोगों को इसकी खबर नहीं थी जैसा कि स्वामी जी ने स्वयं गया में डॉक्टर युगल किशोर सिंह से जो बातें कहीं उससे यह स्पष्ट हो जाता है। स्वामी जी के अनुसार, ''मैं किसान सभा से अलग हूँ, जो इस्तीफा नहीं दिया हूँ, दूसरे जब मुझे इन लोगों ने खबर तक देना उचित नहीं समझा हालांकि सभी जानते हैं कि मैं यहीं हूँ, तो फिर मेरा वहाँ बिना बुलाया जाना उचित नहीं, इसलिए हरगिज नहीं जा सकता।''[3]

14 फरवरी 1933 को गुलाब बाग, पटना में होने वाली किसान सभा की बैठक में डॉ. युगल किशोर सिंह के आग्रह के कारण किसी तरह स्वामी जी भी गुलाब बाग पहुँचे। उस किसान सभा की बैठक में बिहार लैंड होल्डर्स एशोसिएशन के स्तंभ श्री सच्चिदानंद सिन्हा और राजा सूर्यपुरा श्री राधिका रमण प्रसाद सिंह जैसे जमींदारों ने भाग लिया था।[4] किसान मात्र 10 या 20 की संख्या में होंगे। इस सभा को जिस मकसद से गुरू सहाय बाबू ने बुलाया था वो मकसद स्वामी जी की सभा में पहुँच जाने से पूरा नहीं हो सका। जमींदारों का काम नहीं हो सका और उनकी नकली किसान सभा का भंडाफोड़ हो गया।

1933 की गर्मियों में बिहार प्रांतीय किसान सभा की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया कि किसान सभा गया के किसानों के दुःख दर्द की पूरी जाँच करके उसकी रिपोर्ट छपवाये, उन पर उचित कार्यवाही करें और यही किया भी गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन 1933 के बरसात के महीनें में बिहार में ही हुई जिसमें पुनः स्वामी जी अध्यक्ष चुने गये। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट बन जाने के बाद सोशलिस्ट पर कांग्रेसियों का प्रभाव बढ़ता गया। हालांकि स्वयं सहजानन्द सरस्वती भी समाजावादी विचारधारा के प्रचारक ही रहे थे और अपने भाषणों में समाजवाद का जिक्र भी किया करते थे।

21 अप्रैल 1934 को स्वामी सहजानन्द सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की कार्यकारिणी समिति की एक बैठक पटना में बलदेव सहाय के घर पर हुई। इस बैठक में बलदेव सहाय, जय प्रकाश नारायण, महावीर प्रसाद, राम कुमार त्रिपाठी, युगल किशोर

सिंह, अब्दुल बारी, राम नन्दन मिश्रा, बद्री नारायण सिन्हा, भैरो सिन्हा, यमुना कार्यी, धनराज शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामदीन शर्मा, श्याम नन्दन सिन्हा, पुष्प देव शर्मा, रामेश्वर सिन्हा, अवधेश प्रसाद सिन्हा, महावीर ठाकुर ने भाग लिया।[5] इस बैठक में सचिव मंडल के अनेक सदस्यों को उनके पद से हटा दिया गया तथा यह तय किया गया कि जो तीन बैठकों में लगातार भाग नहीं लेंगे, उन्हें सदस्यता से वंचित कर दिया जायेगा। इस बैठक में आपसी मतभेद काफी थे। अतः फिर एक नई कमिटी एवं सचिव मंडल बनाया गया, जिसमें स्वामी सहजानन्द सरस्वती अध्यक्ष, बलदेव सहाय एवं अब्दुल बारी उपाध्यक्ष, जयप्रकाश नारायण एवं यमुना कार्यी सचिव, अम्बिका प्रसाद पटना में डिविजनल सचिव, किशोरी प्रसन्न सिन्हा को तिरहुत का डिविजनल सचिव बनाया गया। इस बैठक में किसानों की स्थिति में सुधार के लिये कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये गये एवं कार्यक्रम तैयार किया गया।

पुनः 10 जून 1934 को स्वामी सहजानन्द की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की बैठक हुई जिसमें कई प्रमुख फैसले लिये गये[6] :–

1. बिहार प्रांतीय किसान सभा की राज्य कार्यकारिणी में गंगा शरण सिन्हा एवं गया के बद्री नारायण को शामिल कर लिया गया।
2. मुख्य कार्यालय अब पटना में खोल दिया गया तथा गंगा शरण सिन्हा को सचिव बनाकर कार्यालय में रखने का फैसला किया गया।
3. गया जाँच समिति की रिपोर्ट किताब की शक्ल में छपवायी गई।
4. जमींदारों के खिलाफ किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग की गई।
5. बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन गया में जुलाई 1934 के तीसरे सप्ताह में करने का फैसला किया गया।
6. किसान सभा ने सरकार के इस प्रावधान से असंतोष व्यक्त किया कि प्रादेशिक सरकार ने लाभकारी ईख एक्ट नहीं बनाया है। खासकर ईख का निश्चित मूल्य निर्धारण नहीं होने से अधिक असंतोष था।

इसके बाद किसानों के अधिकारों को रेखांकित किया गया। किसानों के मौलिक अधिकारों में प्रमुख थे–

1. सारी जमीन पर किसानों का अधिकार होना चाहिए।

2. बलुआही, दलदली, पर्वतीय आदि वैसी जमीन जिसपर किसान परिवार रह नहीं सकते, पर मालगुजारी या टैक्स नहीं लगना चाहिए।
3. प्रत्येक किसान के पास भरण–पोषण के लिए कम से कम उसकी जमीन जरूर हो जितनी से उसका काम चल जाये।
4. टेनेन्सी कानून भी किसानों के हित में बनाया जाना चाहिए।
5. किसान सभा की सदस्यता शुल्क दो आना से घटाकर एक पैसा कर दिया जाना चाहिए एवं डिविजनल सेक्रेटरी की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए तथा सदर कार्यालय के लिए गंगा शरण को रखा जाना चाहिए। इसी समय गया के किसानों के बीच एक हिन्दी पम्पलेट बाँटा गया जो भारत शिवशंकर भारती द्वारा गया जेल से भिजवाया गया था। इस पर्चे में किसानों को संबोधित करते हुए कहा गया था कि ''किसानों का हजारों बीघा जमीन नीलाम करवा दी जा रही है, साथ ही मालगुजारी के अनुसार सिंचाई की बहुत ही खराब व्यवस्था है। अमावा, बोधगया तथा अन्य भूपतियों और उसके गुर्गों द्वारा लाखों रूपये वेश्यावृति एवं अन्य विलासिता के कामों पर उड़ा दिये जाते हैं, जबकि उसका कर्तव्य किसानों की फसल की रक्षा करना है।''[7] पर्चे में आगे कहा गया है कि ''जमींदारों का यह कर्तव्य होता है कि ऐइयाशी छोड़ मरते किरायेदारों की रक्षा करें। साथ ही गरीब, हरिजनों एवं कुचले गये लोगों के साथ मित्रता भी करें।'' मगर वे ऐसा नहीं करते हैं, इसीलिए उनके उद्देश्य को नाकाम कर देना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार वल्लभ पटेल भी जमींदारी का खात्मा चाहते थे।[8]

जमींदारों के इस तरह के शोषण, उनकी ऐइयाशी और किरायेदारों की स्थिति पर्चे में दर्शाते हुए अंत में जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए बिहार में सभी किसानों को एक होकर लड़ने का आह्वान किया गया था।

पटना जिला किसान सभा का सम्मेलन 4 जुलाई 1934 को सिलाव मे सम्पन्न हुआ। आम सभा को संबोधित करते हुए स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने कहा कि ''भगवान का सही रूप किसान ही है।'' यह किसान अपने खून पसीने की कमाई से पूरे विश्व को खिला रहा है। इसलिए किसानों का यह उनका अधिकार है कि वे फसल उपजाते हैं। इसलिए उसका उपयोग करने का अधिकार पहले उन्हें और उनके बच्चें को है और उससे जो बचेगा वह भूपतियों और दूसरे के लिए है।[9] सम्मेलन में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए

किसानों को संगठित करने एवं आंदोलन करने का कार्यक्रम तय किया गया। अगले सत्र के लिए पटना जिला किसान सभा का अध्यक्ष कामेश्वरी महतो, सचिव लेख महतो, संयुक्त सचिव विमल सिंह एवं कोषाध्यक्ष ममारी महतो को चुना गया।

8 जुलाई 1934 को मुंगेर जिला किसान सभा का सम्मेलन हुआ, जिसमें संगठन एवं आंदोलन के कई प्रस्ताव पास किये गये। सममेलन को संबोधित करने वालों में स्वामी सहजानन्द सरस्वती, बलदेव सहाय, कार्यानन्द शर्मा, बिशेश्वर सिंह, किशोरी प्रसन्न सिंह, तिलकधारी सिंह इत्यादि प्रमुख थे। नये सत्र के लिए मुंगेर जिला किसान सभा के अध्यक्ष शफीउद्दीन रिजवी, उपाध्यक्ष यमुना प्रसाद सिंह सचिव बलदेव प्रसाद सिंह एवं कार्यानन्द शर्मा, कोषाध्यक्ष राम स्वरूप तथा कार्यकारिणी के सदस्यों के रूप में बनारसी प्रसाद, नन्द कुमार सिंह, कृष्ण मोहन, गिरधर नारायण, अब्दुल कलाम नकवी, विशेश्वर प्रसाद सिंह एवं सूद प्रसाद सिंह को चुना गया।[10] सम्मेलन के अध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाद सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

यहाँ इस बात का जिक्र करना युक्तिसंगत होगा कि महात्मा गाँधी की अध्यक्षता में बिहार सेन्ट्रल रिलीफ कमिटी की एक बैठक 18 मार्च 1934 को सिन्हा हॉल में हो रही थी, जिसमें 200 से अधिक महत्वपूर्ण लोग इक्ट्ठे हुए थे, जिसमें सोशलिस्ट एवं कम्युनिस्टों ने भी भाग लिया था। उनमें प्रमुख थे नरेन्द्र देव, जे. बी. कृपलानी, आर. वी. रिजवी, मोहम्मद सज्जाद, स्वामी सहजानन्द सरस्वती, मथुरा प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा एवं गंगा शरण सिंह। इस बैठक में स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने जमींदारों के शोषण एवं करदाताओं की स्थिति पर कुछ सवाल उठाए। उस सवाल को सुनकर राजेन्द्र प्रसाद ने स्वामी जी को खरी–खोटी सुनाते हुए कहा कि ''यदि आप लोग इस संगठन में राजनीति लाना चाहते हैं तो कृप्या इस्तीफा देकर आप लोग चले जाये।''[11] इस बात से स्पष्ट है कि राजेन्द्र प्रसाद जमींदारों के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे जो जमींदारों के प्रति उनके वर्ग हित को दर्शाता है।

1934 ई. में गया में बिहार प्रदेश किसान सभा का दूसरा सम्मेलन हुआ। इसमे उत्तर प्रदेश से पुरूषोत्तम दास टंडन तथा मोहन लाल गौतम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से सीमांत गाँधी अब्दुल गफ्फार खाँ और उनके भाई ने संबोधित किया। तब तक सभा पर समाजवादियों का प्रभाव स्थापित हो गया था। अध्यक्ष ने 29 अगस्त 1934 के अपने भाषण में

जमींदारी प्रथा की समाप्ति की चर्चा की।[12] लेकिन स्वामी सहजानन्द अभी भी पूरी जमींदारी प्रथा के खिलाफ नहीं थे। उन्होंने तुरंत स्पष्ट कर दिया कि टंडन जी यह सब व्यक्तिगत तौर पर कह रहे हैं।[13] इस सभा ने बंगाल काश्तकारी कानून 1885 की 112 के तहत लगान की दर में कमी की मांग की, गन्ने की कीमत कम से कम 8 आना प्रति मन करने का प्रस्ताव पारित किया तथा 6 महीने के अंदर गाँव से जिला स्तर तक किसान संगठन की इकाइयाँ भी स्थापित करने का निश्चय किया।[14] लेकिन जब किसान सभा इस तरह के प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर हुई, अपनी सभाओं में पारित कर रही थी और कांग्रेस 1934 में केन्द्रीय विधायक के चुनाव में अपने उम्मीदवारों को विजय दिलाने में व्यस्त थी, उसी समय बिहार की विधायिका ने 14 सितम्बर 1934 को एक नया विधेयक बिहार काश्तकारी सुधार अधिनियम पारित कर दिया।[15] यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यह किसान सभा के लगातार आंदोलन का ही फल था कि पहले काश्तकारी विधेयक की तरह इसमें जमींदारों को और जमीन को जिरात बनाने का अधिकार नहीं दिया गया था तथा किसानों को भी अपनी जमीन में पेड़ रोपने तथा कुएँ खोदने का अधिकार मिल गया था।

किसान सभा विभिन्न स्तरों पर विभिन्न मुद्दों के खिलाफ आंदोलन करती रही, लेकिन कांग्रेस के रवैये से धीरे–धीरे साम्यवादी और समाजवादी निराश होने लगे थे। धीरे–धीरे वे दोनों दल और भी करीब आ गए तथा 1934 ई. के अंत तक स्वामी सहजानंद अपने भाषणों में काफी आक्रामक हो गए। 1935 के जनवरी में स्वामी सहजानन्द समाजवादी पार्टी का उनपर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि विपिन प्रसाद सिन्हा और स्वामी जी ने डेहरी ऑन सोन के चीनी मिल में एक स्वामी मजदूर यूनियन की स्थापना की बात सोचनी शुरू की। इसी तरह स्वामी जी की बिहार चीनी मिल से हुई लड़ाई भी चलती रही।

संदर्भ सूची :–

1. स्वामी सहजानन्द सरस्वती, मेरा जीवन संघर्ष, पृ. 234।
2. वही।
3. वही, पृ. 235।
4. वही, पृ. 236।
5. फाइल नं. 10/1934 राजनीतिक विशेष, बिहार राज्य अभिलेखागार, पटना।

6. बिहार और उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव को बिहार और उड़ीसा की स्पेशल शाखा कैम्प, राँची के द्वारा, 14 जून, 1934 को मेमो नं. 46–47 की भेजी गई रिपोर्ट।
7. फाइल नं. 10/1934 राजनीतिक विशेष, बिहार राज्य अभिलेखागार, पटना।
8. वही।
9. रिपोर्टर इंस्पेक्टर द्वारा 1934 की एस. पी. पटना को लिखे गये पत्र से लिया गया तथ्य। फाइल नं. 10/1934 राजनीतिक विशेष, बिहार राज्य अभिलेखागार, पटना।
10. वही।
11. फाइल नं. 10/1934 राजनीतिक विशेष, बिहार राज्य अभिलेखागार, पटना।
12. गया पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट, फाइल 10/34।
13. वही।

♦♦♦♦♦